

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 13386/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2023 की पालना में डा. संजय पालीवाल, उप निदेशक द्वारा विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। डा. पालीवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए डा. संजय पालीवाल, उप निदेशक, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, सलूमबर का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मावली, उदयपुर में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं  
पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/सलूमबर
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref  
5354102



Digitally signed by Nimisha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.01.14:54:21 IST  
Reason: Approved